18/3/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा -212 राज० काश्तकारी अधिनियम सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		पर बहस सुनी जा चुकी है। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेज के अवलोकन से हम पाते हैं कि प्रार्थी ने यह प्रा० पत्र, पावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा -188 राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वादी। प्रार्थी ने प्रा० पत्र के चरण संख्या -3 में विवादित भूमि, खाता संख्या नया 315 पुराना 304 के खसरा नम्बर 301 रकबा 0.8094 है०, खसरा नं. 302 रकबा 0.4553 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.2637 है०, ग्राम नांगल जैसा

सहा... कलेक्टर प्रथम

जयपुर

अशोक फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम बनाम अन्य

केस संख्या 72 15/1/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/3/24	बोहरा, पटवार क्षेत्र नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर का उल्लेख किया है। वादी/प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में स्वयं कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा० 22 सहखातेदार हैं, संयुक्त रूप से उक्त भूमि में काबिज होकर निरन्तर काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यानि प्रार्थी, कई सहखातेदारों में से एक सहखातेदार है और शेष सहखातेदारों को प्रतिवादी अप्रार्थीगणों के रूप में संयोजित किया है। चूंकि प्रार्थी अविभाजित भूमि का एक सहखातेदार है (Co-tenant)	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		है, Sole Tenant (एकमात्र खातेदार) नहीं है, अतः जब अविभाजित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा / सीमा तय नहीं है, तो अप्रार्थी सं. 1 लगा० 7, प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार कैसे हो गए/ इसलिए ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है, और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कर पाया है। व तीसरा, प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना भी नहीं है क्यों कि जो हिस्सा / सीमा प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं है उस पर अप्रार्थीगणों को पाबंद

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

अशोक बनाम अजय

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या TI 151/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/3/25	कैसे करवा सकता है। सारतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा -212, अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	